रिसर्च किस्म" कृषि विभाग का सिर दर्द

[1]आर.बी. सिंह, एवं [2]प्रेम सिंह चौहान,

[1]एरिया मैनेजर (सेवा निवृत) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लि० (भ. ारत सरकार का संस्थान) सम्प्रति – "कला निकेतन", ई–७०, विथिका संख्या–११, जवाहर नगर, हिसार–१२५००१ (हरियाणा), दूरभाष सम्पर्क – ७९८८३–०४७७०

[2] पूर्व निदेषक, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, बेज ११, १२, सै. क्टर–१४, पंचकुला – सम्प्रति – गृह संख्या ६२०, सैक्टर–३, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, दूरभाष ९४१६२–७०५५४

बीज खेती किसानों का दिल है दिल कमजोर होने पर शरीर की सभी क्रियाएं षिथिल हो जाती हैं उसी तरह बीज गुणहीन होने पर कृषि की सेहत गिर जाती है। कृषि की सेहत तथा उत्पादन के लिए विभिन्न कारक हैं परन्तु बीज और विशेषतौर से बीज की किस्म की महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी है।

1. किस्म विकास एवं अनुसन्धान :–

अच्छा बीज सम्भाल कर रखने का ज्ञान धरनीधरों को पहले से ही था खेत में अच्छा पौधा या अच्छे भाग से बीज एकत्र करने का षहूर किसान को आदिकाल से है परन्तु सभ्यता के विकास एंव कृषि विज्ञान के द्वारा किस्म विकास के तरीके जैसे सलक्शन, सकंरण (भ्लइतपकप्रंजपवद्धए अनुकूलन (प्दजतवकनबजपवद ंदक ंबबसपउ. जप्रंजपवद्ध एवं म्यूटेशन चार पद्धतियों का विकास हुआ और इन पद्धतियों से विकसित हर किस्म रिसर्च किस्म होती है।

2. किस्मों के प्रकार :–

फसल किस्मों प्रजातियों का उनके विकास के कारण कई प्रकार हैं जैसे किसान किस्म (थंतउमत अंतप. मजलद्ध ऐंसेसियली डीराइव्ड वैराईटी (म्क्टण्द्धए एक्सटैंट वैरायटी, बी.टी जनित किस्मे (ज्तंदेहमदपब वत ळण्ड वत ळण्म् टंतपमजपमेद्ध। प्रस्तावित बीज अधिनियम में किस्मों के दो प्रकार – राष्ट्रिय किस्म यानी एक से अधिक राज्य में उगाई जाने वाली किस्म तथा राज्य किस्म जो केवल एक राज्य में उगाई जाती हो। किस्मों का एक और प्रभेद होता है अधिसूचित किस्म (नोटीफाईड किस्म) ऐसी किस्म जिसे राष्ट्रिय मान्यता दी गई तथा गैर नोटीफाईड – केन्द्रीय सरकार द्वारा जिसे मान्यता न दी हो। सरकार द्वारा गैर नोटीफाईड किस्मों का बीज उत्पादन कर बेचने की मनाही नही है।

3. रिसर्च किस्म–नया सिरदर्द :–

लगभग 80 के दशक में बीज उद्योग में निजी कम्पनियों का प्रवेश हुआ उन्होंने पहले बीज उत्पादन किया फिर बीज किस्म विकास में अपने हाथ आजमाए और बहुत अच्छी किस्में दी तथा देश में उत्पादन बढ़ाया। किस्म विकास करना अच्छा है परन्तु आजकल बीज उद्योग में तथा कथित किस्म विकसित कर अधिक पैसा कमाने की होड सी लगी हुई है और अधिकतर बीज उत्पादक किसी कृषि विश्वविद्यालय की किस्म या किसी निजी कम्पनी की

लोकप्रिय किस्म को अपने पैकिंग में भर कर अपना कोई नाम देकर रिसर्च वैरायटी कह कर बीज बेचकर धन कमा रहे हैं। यह कोई रिसर्च के द्वारा विकसित किस्म नहीं है बल्कि यह धोखाधड़ी है और इस प्रकार के प्रपंच से धन कमाना ही एक मात्र उद्देश्य है। ऐसी किस्मे को रिसर्च किस्म कहना ही पाप है। और ये तथाकथित "रिसर्च किस्में" कृषि विभाग का सरदर्द बनी हुई है। इन बीज उत्पादकों के पास इन्हें अपनी रिसर्च किस्म सिद्ध करने के प्रमाण ही नहीं हैं क्योंकि ये तथाकथित किस्में बिना वैज्ञानिक, बिना फार्म, बिना बिजाई रातों–रात बन जाती है। बीज विक्रेता, बीज उत्पादक युनियनें इस कुत्सित कार्य को हतोत्साहित करने में आगे नहीं आनी चाहिए।

4. आर. एण्ड डी. :–

आर. एण्ड डी. किस्म विकास की विद्या है। इसके द्वारा किस्म अनुसंधान को नियमित और संगठित किया जा सकता है और कुछ कम्पनियाँ अपनी किस्म रिसर्च को नियमित भी कर रही हैं परन्तु अधिकतर इसको अपने बीजों की तथा कथित रिसर्च किस्म कह कर बेचने के लिए अलंकरण एवं विज्ञापन का रूप दे रहे हैं।

5. कृषि विभाग की झुझलाहट :–

पिछले कुछ वर्षों से रिसर्च किस्म की ओर कृषि विभाग का ध्यान आकृष्ट हुआ है और विभिन्न राज्यों के कृषि निदेशकों ने इस बारे आदेश पारित भी किए हैं कि रिसर्च किस्मों की बिक्री के लिए लाइसैंस नहीं दिया जायेगा और जिनको लाइसैंस दिए गये हैं उनको भी निरस्त कर दिया जायेगा। "रिसर्च किस्म" नयी शब्दावली छलिया बीज उत्पादकों द्वारा दी गई है। अब तो बीज विक्रेता भी "रिसर्च किस्म" बनाने में पारंगत हो गये हैं और अब वे भी बीज उत्पादकों की राह पर चल पड़े हैं। कृषि विभाग भी अपने पत्रों में इसे रिसर्च किस्म ही लिखते हैं। जबकि इन्हें छलिया किस्म, जाली किस्म या नकली किस्म कहना चाहिए।

6. गन्दी लत :–

वास्तव में यह कोई किस्म नहीं बल्कि भोले–भाले किसानों को चमकदार थैलों, पैकेटों में लोक लुभावनी घोषणाएं कर मूर्ख बना कर उनकी कष्ट की कमाई को हड़पने का तरीका है। बीज उत्पादकों एवं बीज विक्रेताओं में नई किस्म बनाना एक लत का रूप ले चुकी है और कोई भी लत व्यक्ति का सर्वनाश करके छोड़ती है। इसी प्रकार यह लत भी बीज उद्यमियों का सर्वनाश करके रहेगी।

7. समाधान :–

इस समस्या का समाधान प्रस्तुत बीज नियामकों में नही है अतः इन नियामकों – बीज अधिनियम–1966, बीज नियम 1968 बीज नियन्त्रण आदेश 1983 में संसोधन किया जाए। वर्ष 2000 से स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा सांसद द्वारा नया बीज अधिनियम लाने की शुरूआत की और विभिन्न ड्राफ्ट लोक सभा के पटल पर रखने का प्रयास हुआ, परन्तु किन्हीं कारणों से सफलता नहीं मिली। नया बीज अधिनियम लोक सभा में लम्बित है। वर्तमान बीज अधिनियम में संषोधन कराने का भी समाधान नहीं है। नया बीज अधिनियम जितना जल्दी पास हो उतनी ही जल्दी इन तथाकथित रिसर्च किस्मों से निजात मिलेगी। प्रस्तावित अधिनियम में केवल वे ही किस्में ब्रांड सीड से बिकेंगी जिनका दो साल तक सरकार में परिक्षण हुआ हो। हालाकि कृषि विभाग को छल, कपट, धोखाधड़ी आदि धाराओं का प्रयोग कर तथाकथित रिसर्च किस्म विक्रेताओं, उत्पादकों को दण्ड दिलाना चाहिए।